सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

15 कार्तिक, 1937 (श०)

संख्या **791** राँची, शुक्रवार

6 नवम्बर, 2015 (ई०)

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

16 अक्टूबर, 2015

संख्या-एल0जी0-36/2015-123/लेज0-- झारखंड विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर राज्यपाल दिनांक 13 अक्टूबर, 2015 को अनुमति दे चुके है इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है ।

झारखंड उत्पाद (संशोधन) अधिनियम, 2015

(झारखंड अधिनियम, 15, 2015)

झारखण्ड सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या-1306 दिनांक 14 नवम्बर, 2002 द्वारा अंगीकृत बिहार एवं उड़ीसा उत्पाद अधिनियम, 1915 (झारखण्ड अधिनियम ।।, 1915) को झारखण्ड राज्य में लागू एवं प्रवर्तन करने के लिए संशोधन हेतु अधिनियम।

प्रस्तावना - राजस्व संवर्द्धन के उद्धेश्य से, सुषव के बढ़ते दुर्व्यापार एवं मदिरा के अवैध आसवन की रोकथाम के लिए झारखण्ड उत्पाद अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराधों के लिए भयोपरत दण्डों को उपबन्ध करना आवश्यक है। साथ ही पेसा एक्ट, 1996 की धारा-4 (m) के अनुरुप उत्पाद अधिनियम में

प्रावधान करना भी समीचीन हो गया है। अतः उक्त के आलोक में विद्यमान एवं अंगीकृत वर्तमान झारखण्ड उत्पाद अधिनियम, 1915 (झारखण्ड अधिनियम ।।, 1915) के कतिपय प्रावधानों में संशोधन की आवश्यकता है। कतिपय प्रावधानों में संशोधन हेतु अधिनियम;

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं आरम्भ –

(1) यह अधिनियम झारखण्ड उत्पाद (संशोधन) अधिनियम, 2015 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

(3) यह राजकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।

2. अधिनियम की धारा 47 के स्थान में नई धारा का प्रतिस्थापना - अधिनियम की विद्यमान धारा 47 के स्थान में निम्नलिखित नई धारा प्रतिस्थापित की जायेगी, यथा –

"47. विधि विरुद्ध आयात, निर्यात, परिवहन, विनिर्माण, कब्जा, उपभोग, विक्रय इत्यादि के लिए दण्डः- यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम अथवा इस अधिनियम के अधीन बने किसी नियम या निकाली गई किसी अधिसूचना या दिये गए किसी आदेश अथवा इस अधिनियम के अधीन दी गई अनुज्ञप्ति, परमिट या पारक के उल्लंघन में –

(क) किसी मादक द्रव्य का आयात, निर्यात, परिवहन, विनिर्माण, कब्जा, उपभोग या विक्रय करें; अथवा

(ख) विक्रय के प्रयोजनार्थ किसी मदिरा को बोतलबंद करे; अथवा

(ग) कोई आसवनी, विनिर्माणशाला, यवासवनी (ब्रूअरी) या भण्डागार स्थापित करे या चलाये; अथवा

(घ) निजी उपभोग हेतु पंचवई एवं ताड़ी से भिन्न किसी भी मादक द्रव्य का विनिर्माण करने के लिए कोई सामग्री, ममकार (स्टिल), बर्तन, उपकरण या साधित्र का प्रयोग करे, रखे या कब्जे में रखे; अथवा

(ड.) राज्य के भीतर किसी जिले अथवा अन्य किसी राज्य के सरकारी लोगो युक्त या लोगो रहित फिल्म, रैपर अथवा अन्य कोई सामग्री जिसमें मादक द्रव्य पैक किया जा सके या मादक द्रव्य को पैक करने के प्रयोजनार्थ ऐसा कोई साधित्र, उपकरण या मशीन अपने कब्जे में रखें; अथवा

(च) इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्त, स्थापित, प्राधिकृत या चालू किसी आसवनी, यवासवनी या भण्डागार या भण्डारण के किसी अन्य स्थान से कोई मादक द्रव्य हटाये;

तो वह ऐसे कारावास से जिसकी अवधि छः माह से कम नहीं होगी, जिसका विस्तार पाँच वर्षों तक हो सकेगा और इतने जुर्माने से जिसकी रकम पाँच हजार रुपये से कम नहीं होगा लेकिन जिसका विस्तार एक लाख रुपये तक हो सकेगा, से दण्डित किया जायेगा और जुर्माना न देने की दशा में ऐसे अतिरिक्त कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा ।

3. अधिनियम की विद्यमान धारा 49 के स्थान में नई धारा का प्रतिस्थापन – अधिनियम की विद्यमान धारा 49 के स्थान में निम्नलिखित नई धारा प्रतिस्थापित की जायेगी, यथा –

"49. किसी विकृत आसव को परिवर्त्तित या तदर्थक प्रयास के लिए दण्ड – जो कोई भी किसी विकृत आसव को किसी भी तरीके से इस अभिप्राय से परिवर्त्तित करे या परिवर्त्तित करने का प्रयास करे कि वह आसव किसी भी तरीके से मानव उपभोग में आये, चाहे वह पेय रुप में हो या खाने की औषधि के रुप में या अन्य किसी भी तरीके से अथवा उसके कब्जे में ऐसा आसव हो जिसके बारे में वह जानता है, अथवा उसे विश्वास करने का कारण है कि इस प्रकार का कोई परिवर्त्तन अथवा परिवर्त्तन करने का प्रयास किया गया है, तो वह ऐसे कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु पाँच वर्ष तक हो सकेगी और इतने जुर्माने से जिसकी रकम एक लाख से कम नहीं होगी किन्तु पाँच लाख रुपये तक हो सकेगा से दण्डित किया जायेगा और जुर्माना न देने की दशा में, ऐसे अतिरिक्त कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक हो सकेगी दण्डित किया जायेगा।

4. अधिनियम की विद्यमान धारा 52 के स्थान में एक नई धारा का प्रतिस्थापन – अधिनियम की विद्यमान धारा 52 के स्थान में एक नई धारा प्रतिस्थापित की जायेगी, यथा –

"52. मदिरा के अपमिश्रण के लिए दण्ड – जो कोई अपने द्वारा विक्रय की गई, विनिर्मित या कब्जे में रखी गई किसी मदिरा में कोई हानिकारक औषधि या कोई विजातीय घटक या अधिनियम की धारा 90 के खण्ड (9) के उपखण्ड (i) के द्वारा प्रतिषिद्ध कोई सामग्री मिश्रित करे या मिश्रित करने दे जिससे, मानव को अपंगता, गंभीर उपहति या मृत्यु कारित होना सम्भाव्य हो तो वह –

(क) यदि ऐसे कृत्य के परिणामस्वरुप किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित हो, तो वह दस वर्ष तक के कारावास और इतने जुर्माने से जिसकी रकम दस लाख रुपये तक हो सकेगी दण्डित किया जा सकेगा;

(ख) यदि ऐसे कृत्य के परिणामस्वरुप किसी व्यक्ति को गम्भीर उपहति कारित हो, तो वह दस वर्ष तक के कारावास और इतने जुर्माने से जिसकी रकम पाँच लाख रुपये तक हो सकेगी दण्डित किया जा सकेगा;

(ग) यदि ऐसे कृत्य के परिणामस्वरुप किसी व्यक्ति को परिणामिक क्षति कारित हो, ऐसे कारावास से जिसकी अवधि दस वर्ष तक हो सकेगी एवं इतने जुर्माने से जिसकी रकम 2.50 लाख रुपये तक हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा;

(घ) यदि ऐसे कृत्य के परिणामस्वरुप किसी व्यक्ति को कोई क्षति कारित न हो तो ऐसे कारावास से जिसकी अवधि सात वर्ष तक हो सकेगी और इतने जुर्माने से जिसकी रकम एक लाख रुपये तक हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा;

व्याख्या : इस धारा के प्रयोजनार्थ गम्भीर उपहति शब्द का तात्पर्य वही होगा जो भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 320 में है।"

5. अधिनियम की धारा 53 में संशोधन – अधिनियम की धारा 53 में शब्द समूह तीन माह और पाँच सौ रुपये के स्थान में क्रमशः शब्द समूह एक वर्ष और एक लाख रुपये प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

6. अधिनियम की धारा 54 में संशोधन – अधिनियम की धारा 54 में शब्द समूह पाँच सौ रुपये के स्थान में शब्द समूह पच्चीस हजार रुपये प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

7. अधिनियम की विद्यमान धारा 55 के स्थान में नई धारा का प्रतिस्थापन – अधिनियम की विद्यमान धारा 55 के स्थान में निम्नलिखित नई धारा प्रतिस्थापित की जायेगी, यथा –

"55. ऐसी मदिरा कब्जा में रखने के लिए दण्ड जिसके संबंध में अपराध किया गया हो – जो कोई विधिसंगत प्राधिकार के बिना, अपने कब्जे में ऐसी कोई मदिरा यह जानते हुए, या ऐसा विश्वास करने का कारण रहते हुए रखे कि उसका आयात, निर्यात, परिवहन या विनिर्माण विधि विरुद्ध तरीके से हुआ है या यह जानते हुए या ऐसा विश्वास करने का कारण रहते हुए कि उसपर विहित कर नहीं दिया गया है, तो वह ऐसे कारावास से जिसकी अवधि छः माह से कम न होगी किन्तु जो तीन वर्षो तक हो सकेगी और ऐसे जुर्माने से जिसकी रकम पचास हजार रुपये से कम नहीं होगी लेकिन जो एक लाख रुपये तक हो सकेगी अथवा मदिरा के मूल्य की दस गुणा रकम, जो अधिक हो, हो सकेगी।"

8. अधिनियम की धारा 56 में संशोधन – अधिनियम की विद्यमान धारा 56 की उपधारा (1) में एक हजार रुपये शब्द समूह के स्थान में पाँच हजार रुपये शब्द समूह और अधिनियम की धारा 56 की उपधारा (2) में दो सौ रुपये शब्द समूहों के स्थान में एक हजार रुपये समूह प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

9. अधिनियम की विद्यमान दारा 57 के स्थान में नई धारा का प्रतिस्थापन – अधिनियम की विद्यमान धारा 57 के स्थान में निम्नलिखित नई धारा प्रतिस्थापित की जायेगी, यथा –

"57. अनुज्ञप्तिधारी या उसके सेवक के कतिपय कृत्यों के लिए दण्ड – (1) यदि इस अधिनियम के अधीन दी गई अनुज्ञप्ति, पारक या पास का कोई धारक, उसका कोई सेवक जो उसकी ओर से काम करता हो –

(क) राज्य सरकार की अधिसूचना द्वारा शक्ति प्रदत्त किसी पदाधिकारी द्वारा माँग किये जाने पर इस प्रकार की अनुज्ञप्ति, पारक या पास न प्रस्तुत कर सके; या

(ख) धारा 89 या 90 के अधीन बनाये गए किसी नियम का जानबूझकर उल्लंघन करें; अथवा

(ग) अनुज्ञप्ति, पारक या पास की किसी भी शर्त्त के भंग में, जिसके लिए इस अधिनियम में अन्यत्र कोई दण्ड विहित नहीं है, जानबूझकर कोई काम करे या काम करने में चूक करे; तो वह (क) की दशा में दस हजार रुपये तक और (ख) या (ग) की दशा में, जहाँ उत्पाद राजस्व की हानि अन्तर्ग्रस्त हो, प्रथम बार के लिये, ऐसे जुर्माने का दायी होगा, जो उत्पाद राजस्व की हानि की दुगुणी रकम से कम न हो या पाँच लाख रुपये जो अधिक हो, तथा द्वितीय पुनरावृत्ति के लिये ऐसे जुर्माने का दायी होगा जो उत्पाद राजस्व हानि का चार गुणा से कम न हो या दस लाख रुपये जो अधिक हो और जहाँ उत्पाद राजस्व की हानि अन्तर्ग्रस्त न हो, ऐसे जुर्माने का दायी होगा जिसकी रकम दस हजार रुपये से कम किन्तु एक लाख रुपये से अधिक न हो।

(2) उपधारा (1) के अधीन तब तक कोई आदेश नहीं किया जायेगा जबतक कि अनुज्ञप्ति, परमिट या पारक के धारक को –

(क) लिखित सूचना के द्वारा उसे इस धारा के अधीन आगे की कार्रवाई का आधार न बता दिया जाय;

(ख) ऐसे आधार के विरुद्ध ऐसे समय के भीतर, जैसा कि नोटिस में निर्दिष्ट किया गया हो, युक्तियुक्त अवसर न दिया गया हो;

(ग) ऐसे मामले में सुनवाई का अवसर प्रदान न किया गया हो।"

10. अधिनियम की धारा 68 के स्थान में नई धारा का प्रतिस्थापन – अधिनियम की विद्यमान धारा 68 के स्थान में निम्नलिखित नई धारा प्रतिस्थापित की जायेगी, यथा –

"68. अपराधों का प्रशमन करने और अधिहरण योग्य सम्पत्ति को निर्मुक्त करने की शक्ति – (क) आयुक्त, समाहर्त्ता या राज्य सरकार द्वारा इसके लिए शक्ति प्रदत्त उत्पाद पदाधिकारी जो उत्पाद अधीक्षक की पंक्ति के नीचे का न हो –

(क) धारा 89 के खण्ड (ञ) के अधीन बने किन्हीं नियमों द्वारा अधिरोपित किसी प्रतिबन्ध के अधीन रहते हुए किसी व्यक्ति से, जिसकी अनुज्ञप्ति, पारक या पास धारा 42 के खण्ड (क), (ख) या (ग) के अधीन विखण्डित या निलम्बित किये जाने योग्य हो, या जिसपर इस अधिनियम की धारा 49 और 61 से भिन्न किसी अन्य धारा के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के करने का युक्तियुक्त रुप से संदेह किया जाता हो, यथास्थिति विखण्डित या निलंबित करने के बदले या ऐसे अपराध के प्रशमन स्वरुप, यथा विहित न्यूनतम रकम के अध्यधीन, कम गम्भीर अनियमितताओं के लिये 10 (दस) हजार रुपये तक एवं वैसी गम्भीर अनियमितताओं के लिये जिससे राजस्व की क्षति पहुँची हो, प्रथम बार में वास्तविक राजस्व क्षति का दो गुणा या पाँच लाख रुपये जो अधिक हो एवं द्वितीय बार उल्लंघन में वास्तविक राजस्व क्षति का चार गुणा एवं दस लाख रुपये जो अधिक हो, स्वीकार कर सकेगा। अधिनियम या नियम के प्रावधानों के संबंध में तीसरे बार उल्लंघन या अपराध के लिये जिससे राजस्व की क्षति हुई हो अनुज्ञप्ति, पारक एवं पास विखण्डित कर दी जाएगी।

(ख) किसी भी मामले में, जिसमें कोई सम्पत्ति धारा 66 अधीन अधिहरण योग्य समझी जाकर अभिगृहीत की गई हो, दण्डाधिकारी द्वारा धारा 67(1) के तहत आदेश पारित किये जाने के पूर्व तक उतनी रकम के भुगतान पर जो समाहर्त्ता या वैसे उत्पाद पदाधिकारी द्वारा प्राक्कलित मूल्य से अधिक न हो, उस सम्पत्ति को निर्मुक्त कर सकेगा।

परन्तु यह भी कि जहाँ इस प्रकार अभिग्रहीत की गई सम्पत्ति, इस अधिनियम के उल्लंघन में आयातित, निर्यातित, परवहित या विनिर्मित की गई मदिरा हो, तो वैसी मदिरा निर्मुक्त नहीं की जायेगी परन्तु इसका निष्पादन उस तरीके से किया जायेगा जैसा कि विहित किया जाय।

(2) जब उपधारा (1) के खण्ड (क) में उल्लिखित राशियों का शोधन किया जा चुका हो तो अभियुक्त व्यक्ति यदि वह हिरासत में हो तो रिहा कर दिया जायेगा, और मदिरा को छोड़कर अभिग्रहित की गई सम्पत्ति (यदि कोई हो) निर्मुक्त कर दी जायेगी और ऐसे व्यक्ति या ऐसी सम्पत्ति के विरुद्ध आगे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी ।

11. अधिनियम की धारा 89 में संशोधन – अधिनियम की विद्यमान धारा 89 की उपधारा (2) के खण्ड (n) के उपरान्त खण्ड (o) निम्न प्रकार से अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा –

"अनुसूचित क्षेत्र के समुचित स्तर के ग्राम पंचायत एवं ग्राम सभा को अपने क्षेत्रान्तर्गत, मादक द्रव्यों के विनिर्माण एवं बिक्री से संबंधित अनन्य विशेषाधिकार, आसवनी एवं ब्रिवरी के अनुज्ञप्तियों को विनियमित एवं प्रतिबंधित करने तथा खुदरा उत्पाद अनुज्ञाधारियों द्वारा अवैध मदिरा की बिक्री को प्रतिबंधित करने की शक्ति प्रदान करना।

12. अधिनियम की धारा 90 में संशोधन – अधिनियम की विद्यमान धारा 90 की उपधारा (7) के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, यथा –

"या, अन्य कोई शुल्क, जो राजस्व हित एवं अनुज्ञप्त इकाईयों के विनियमन में आवश्यक हो अधिरोपित कर सकेगा ।"

***

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

बी0 बी0 मंगलमूर्ति,
प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि (विधान) विभाग, झारखण्ड, राँची ।

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

16 अक्टूबर, 2015

संख्या-एल0 जी0-36/2015-124/लेज0 झारखंड विधान मंडल द्वारा यथा पारित और राज्यपाल द्वारा दिनांक 13 अक्टूबर, 2015 को अनुमत झारखंड उत्पाद (संशोधन) अधिनियम, 2015 का निम्नांकित अंग्रेजी अनुवाद झारखंड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा ।

THE JHARKHAND EXCISE (AMENDMENT) ACT, 2015

(Jharkhand Act 15**,** 201**5**)

An act to amend the Jharkhand Excise Act, 1915 (Jharkhand Act II of 1915) (hereinafter referred to as 'the Act') ;

Preamble – Be it enacted by the legislature of the State of Jharkhand in the sixty sixth year of the republic of India as follows ;

1. Short title, extent and commencement.- (1) This Act may be called the Jharkhand Excise (Amendment) Act, 2015

(2) It shall extend to the whole of the State of Jharkhand.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. Substitution of a new section for section 47 of the Act.- For the existing section 47 of the Act, the following new section shall be substituted, namely:-

"47. Penalty for unlawful Import, export, transport, manufacture, possession, consumption, sale etc.- If any person, in contravention of, this Act, or any rule, notification or order made, or issued or given or license, permit or pass granted under this Act-

(a) imports, exports, transports, manufacture, possesses, consumes or sells any intoxicant; or

(b) bottles any liquor for purpose of sale; or

(c) establishes or works any distillery, manufactory, brewery or warehouse: or

(d) uses, keeps or has in his possession any material, still, utensil, implement or apparatus whatsoever for the purpose of manufacturing any intoxicant other than tari and pachwai for personal consumption; or

(e) possesses any material or film with or without Government logo of any district, in the State or of any other State or wrapper or any other thing in which intoxicant can be packed or any apparatus, or implement or machine for the purpose of packing any intoxicant; or

(f) removes any intoxicant from any distillery, brewery or warehouse, other place of storage licensed, established, authorized or continued under this Act:

he shall be punished with imprisonment with a term which shall not be less then six months but which may extend to five years and with fine which shall not be less than five thousand rupees but which may extend to one lakh rupees and in default of payment of fine, he shall be punished with a further imprisonment for a term which may extend to one year ;

3. Substitution of a new section for the existing section 49 of the Act.- For the existing section 49 of the Act, the following new section shall be substituted namely-

"49 Penalty for altering or attempting to alter any denatured spirit.- Whoever, alters or attempt to alter any denatured spirit with the intention that such spirit may be used for human consumption, whether as a beverage or internally as medicine, or in any other way, whatsoever, by any method whatsoever, or has in his possession any spirit in respect of which he knows or has reason to believe that any such alteration or attempt has been made, he shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than one year but which may extend to five years and with fine which shall not be less then one lakh rupees but which may extend to five lakh rupees and in default of payment of fine, he shall be punished with a further imprisonment for a term which may extend to one year."

4. Substitution of a new section for the existing section 52 of the Act.- The existing section 52 of the Act shall be substituted by the following new section, namely-

"52. Penalty for adulteration of liquor- Whoever mixes, or permits to be mixed, with any liquor sold, manufactured or possessed by him any noxious drug or any foreign ingredient or any article prohibited by rule made under section 90, clause (9), sub-clause (i) likely to cause disability, grievous hurt or death to human beings, shall-

(a) if as a result of such an act, death is caused to any person, be punished with imprisonment for a term which may extend to ten years and shall also be liable to fine which may extend to ten lakh rupees.

(b) if as a result of such an act, grievous hurt is caused to any person, be punished with imprisonment for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine which may extend to five lakh rupees.

(c) if as result of such an act, any other consequential injury is caused to a person, be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to ten years and shall also be liable to fine which may extend to two lakhs fifty thousand. rupees.

(d) if as a result of such an act no injury is caused to any person, be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years and shall also be liable to fine which may extend to one lakh rupees.

Explanation :- For the purpose of this section the expression "grievous hurt" shall have the same meaning as in section 320 of the Indian Penal Code, 1860.

5. **Amendment of section 53 of the Act.-** In section 53 of the Act, for words "three months" and "five hundred rupees", words "one year" and "one lakh rupees", respectively shall be substituted.

6. **Amendment of Section 54 of the Act.-** In section 54 of the Act, for the words "five hundred rupees" the words "twenty five thousand rupees" shall be substituted.

7. **Substitution of a new section for the existing section 55 of the Act.-** The existing section 55 of the Act shall be substituted by the following new section, namely-

"55. Penalty for possession of liquor in respect of which an offence has been committed.- Whoever, has in his possession, any liquor, knowing or having reason to believe the same to have been unlawfully imported, exported, transported, manufactured, or knowing or having reason to believe that the prescribed duty has not been paid thereon, shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than six months but which may extend to three years and with fine which shall not be less then fifty thousand rupees but which may extend to one lakh rupees or ten times of the value of liquor, whichever is higher."

8. **Amendment of section 56 of the Act.-** For expression "one thousand rupees" appearing in sub-section (1) of section 56 of the Act, the expression "five thousand rupees" shall be substituted and for the words "two hundred rupees" appearing in sub-section (2) of section 56 of the said Act the words "one thousand rupees" shall be substituted.

9. **Substitution of a new section for the existing section 57 of the Act.-** The existing section 57 of the Act shall be substituted by the following new section, namely-

"57. Penalty for certain acts by licensee or his servant or person acting under him or on his behalf- (1) If any holder of a license, permit or pass granted under this Act, or any person in his employ and acting under him and on his behalf,-

(a) fails to produce such license, permit or pass on the demand of any officer empowered by the State Government by notification to make such demand, or
(b) willfully contravenes any rule made under section 89 or section 90, or
(c) willfully does or omits to do anything in breach of the conditions of the license, permit or pass for which no penalty is elsewhere provided in this Act,

he shall be liable in case (a), to fine which may extend to ten thousand rupees and in case (b) or in case (c), where any loss of Excise revenue is involved in the first instance to penalty which shall not be less than two times the loss of revenue or five lakh rupees whichever is higher and for the second subsequent

contravention to a penalty which shall not be less than four times the loss of excise revenue or ten lakh rupees whichever is higher to be imposed by the licensing authority and where no loss of revenue is involved to penalty which shall not be less than ten thousand rupees but which may extend to one lakh rupees.

(2) No order shall be made under sub-section (1) unless the holder of the license, permit or pass is given-

(a) a notice in writing informing him of the grounds on which it is proposed to proceed under this section;

(b) a reasonable opportunity of making representation within such time as may be specified in the notice, against such grounds; and,

(c) an opportunity to be heard in the matter.

10. **Substitution of new section for section 68 of the Act.-** For the existing section 68 of the Act, the following shall be substituted, namely:-

"68. Power to compound offences and release properties liable to confiscation.-

(1) The Excise Commissioner, Collector or any Excise Officer empowered by the State Government in this behalf, not below the rank of Superintendent of Excise-

(a) may subject to any restrictions imposed by any rule made under clause (i) of section 89 accept from any person whose license, permit or pass is liable to be cancelled or suspended under clause (a), clause (b) or clause (c) of section 42, or who is reasonably suspected of having committed an offence punishable under any section of this Act other than 49 and section 61, payment of a sum of money upto ten thousand rupees for less serious irregularities and for serious or major irregularities which has resulted in loss of excise revenue, in the first instance two times the actual loss of excise revenue or five lakh rupees whichever is higher, and in the case of second or subsequent contravention four times of actual loss of revenue or ten lakh rupees whichever is higher, subject to such minimum as may be prescribed in lieu of such cancellation or suspension or by way of composition of such offence or irregularity or defect as the case may be. For the third offence or contravention of the provisions of the Act or rules made there under which has resulted in loss of excise revenue, the license, permit or pass shall be cancelled.

(b) in any case in which any property has been seized as being liable to confiscation under section 66, may, at any time before the Magistrate has passed an order under section 67, sub-section (1) release the property on payment of any sum not exceeding the value thereof as estimated by the Collector or the Excise Officer.

Provided that when the property so seized is liquor manufactured, imported, exported or transported in contravention of this Act, such liquor shall not be released but it shall be disposed of in such manner as may be prescribed.

(2) When payments referred to in clause (a) of sub-section (1) have been duly made, the accused person, if in custody shall be discharged, and the property seized (if any) other than liquor shall be released, and no further proceedings shall be taken against such person or property."

11. Amendment of section 89 of the Act- In the end of present sub section (2) clause (n) of section 89 of the Act, the following clause shall be added as (o), namely "for endowing Panchayats at appropriate level and Gram Sabha in Scheduled Area, the power of regulating and restricting, the licenses of, Exclusive Privilege, Distillery and Breweries for manufacture and sale of intoxicants and restricting the sale of illicit liquor by licensee of a retail liquor shop, in their respective areas".

12. Amendment of section 90 of the Act.- In end of present sub-section (7) of section 90 of the Act, the following shall be added, after sentence "or in respect of the storing of any intoxicant", namely :-

"Or may impose any other fee, whatsoever, which is necessary in the interest of revenue and regulation of any licensed unit, running according to the provisions of this act.**"**

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
बी0 बी0 मंगलमूर्ति,
प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि (विधान) विभाग, झारखण्ड, राँची ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण)791—50 ।